संख्या- 23 /2021/ 795 /53-2-2020-44बजट/2018

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-214 /दुग्ध-4/नियोजन/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0(237)/2021-22, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-15/2021/422/53-2-2021-44(बजट)/18 दिनांक 10मई,2021द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 28.05लाख तथा शासनादेश संख्या-19/2021/492/53-2-2021-44(बजट)/18 दिनांक 05जुलाई,2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 28.05लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्राविधानित धनराशि रू0 112.20 लाख के सापेक्ष रू0 56.10 लाख की धनराशि अवमुक्त है। प्राविधानित धनराशि रू0 112.20 लाख की अवशेष धनराशि रू0 56.10 लाख के सापेक्ष रू0 28.05 लाख (रू0 अट्ठाइस लाख पाँच हजार मात्र) **तृतीय किश्त के रूप में** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(5) **प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।**

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) **स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास ,उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।**

(8) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(9) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(11) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(12) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(13) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(14) **विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि** आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(15) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

...2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2404-डेरी विकास-102डेरी विकास परियोजनायें-10-30प्र0राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1238 /दस-2021-2022, दिनांक 23सितम्बर, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 23(1) /2021 / 795(1)/53-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
बिन्द गोपाल द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।